झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय – वित्तीय वर्ष 2014–15 मे राज्य में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों (अतिरिक्त बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय परिवार सहित) को चीनी वितरण योजना की स्वीकृति।

भारत सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के बी०पी०एल० परिवारों (अतिरिक्त बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय परिवार सहित) जिनकी कुल संख्या 35,09,833 के लिए चीनी की आपूर्ति हेतु दिशानिर्देश जारी की गयी है ।

2 भारत सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या- No.19(2)/2013-SP.I दिनांक 17.5.2013 राज्य के लिये भारत सरकार द्वारा मासिक कोटा 6948 टन निर्धारित की गई है। जिसमें प्रति परिवार लगभग 2 (दो) किलोग्राम चीनी जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से दी जा सकेगी। वर्ष में एक बार त्योहार कोटा भी 2551 टन निर्धारित की गयी है। भारत सरकार द्वारा रूपये 18.50 प्रति किलोग्राम की दर से राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। राज्यों को प्रत्येक माह चीनी की आपूर्ति किये जाने हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत करना है ।

3. भारत सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या No.19(2)/2013-SP.I दिनांक 17.5.2013 जिसकी कंडिका- 2 में The Government of India would provide subsidy @ 18.50 per kg at FPS level for the Financial years 2013-14 and 2014-15. It is again clarified that the reimbursement by the Central Government will be limited to the quantity based on the existing level of allocations. उल्लेखित है । उक्त पत्र के साथ संलग्न गाईडलाईन्स में स्पष्ट रूप से कंडिका 3 मे अंकित है कि The States/UTs which distribute sugar (confirming to ISS grade) under the public Distribution System (PDS) at the Retail Issue Price of not more than Rs. 13.50 per Kg will be reimbursed the subsidy/UTs and @ Rs. 18.50 per Kg (including all administrative, transportation, distribution and other expenses), based on the actual utilization/ distribution of sugar under PDS.

4 राज्य योजना पाधिकृत समिति की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है:–

(i) लेवी चीनी का वितरण सही लाभुकों को प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था प्रशासी विभाग सुनिश्चित करेगा ।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त किये जाने वाली प्रतिपूर्ति की राशि समयबद्ध प्राप्त किये जाने हेतु प्रशासी विभाग समन्वय कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ।

(iii) इस विषय से संबंधित कंडिका मे वित्त विभाग द्वारा उठाये गए बिन्दुओं का निराकरण प्रशासी विभाग सुनिश्चित कर लेगा ।

(iv) भविष्य मे इस तरह की योजनाओं मे राज्य खाद्य निगम को शामिल करेगा।

5 वित्त विभाग की स्वीकृति निम्नलिखित परामर्श के साथ प्राप्त है –

(i) लाभुक से प्राप्त होने वाली राशि, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अग्रिम जमा करायी जाय।

(ii) राज्य सरकार के पास रूपये 50.387 करोड़ की राशि रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, रांची को उपलब्ध करायी जाय ।

(iii) इस व्यवस्था में शादी/श्राद्ध एवं अन्य किसी भी तरीके का आवंटन/कटौती अनुमान्य नहीं होगा। पी.डी.एस. वितरण को छोड़कर कोई परमीट किसी स्तर पर देय नहीं होगा।

6. वर्तमान में कृषि उत्पादन बाजार समिति, रांची से प्राप्त दर के आधार पर चीनी का मूल्य आकलित की गई है । चीनी का बाजार मूल्य रूपये 35.00 प्रति किलोग्राम मानते हुये चीनी खुले बाजार से क्रय करने में लगभग 35 + (3.07 रूपये प्रति किलोग्राम परिवहन, हथालन, प्रशासनिक व्यय) कुल संभावित मूल्य लगभग प्रति किलोग्राम 38.07 रूपये आकलित किया गया है, जिसमें से प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य 13.50 रु0 लाभुक से लिया जाना है। इस प्रकार राज्य को लगभग 38.07–13.50 = रूपये 24.57 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह दो किलोग्राम सभी बी0पी0एल0 परिवारों को 02 किलोग्राम चीनी वितरण करने पर कुल 206.97 करोड़ रूपये व्यय प्रति वर्ष करना होगा ;

वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह अक्टूबर से माह मार्च 2015 तक कुल संभावित व्यय 103.49 करोड़ रु0 की स्वीकृति प्राप्त है।

7 चीनी वितरण योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति प्रति किलोग्राम रु0 18 50 की जायेगी एवं लाभुकों से प्रतिकिलोग्राम रु0 13.50 प्राप्त किया जायेगा । अर्थात् चीनी वितरण योजना के लिए कुल रु0 32/– प्रतिकिलोग्राम सरकार के कोष पर योजना के प्रारंभ होने के लगातार दो वित्तीय वर्षों तक पड़ेगा । केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होने पर राजकोष पर प्रतिकिलोग्राम रु0 6.07 की दर से प्रतिवर्ष लगभग 51.14 करोड़ रु0 व्यय भार पड़ेगा ।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में (माह अक्टूबर से माह मार्च तक) राजकोष पर कुल 25.57 करोड़ रु0 व्यय भार पड़ेगा ।

8 झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 को सुदृढ़ बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न प्रकार कमिटी गठन किया जायेगा :-

क्रम	पदनाम एवं विभाग का नाम	
1	विकास आयुक्त, झारखंड	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य
3	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग	सदस्य
5	प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	सदस्य सचिव
6	प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0	सदस्य

9 चीनी वितरण योजना के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता का चयन खुली निविदा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष किया जायेगा । अगले वित्तीय वर्ष तक झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 चीनी के उठाव के लिए सक्षम हो जाने पर चीनी का उठाव सुनिश्चित करेगा ।

10 भारत सरकार द्वारा चीनी की प्रतिपूर्ति 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश के अनुरूप अंकेक्षण ससमय और त्रुटिरहित सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग एक व्यवस्था कायम करेगी । विशेष रूप से अंकेक्षण दल से अंकेक्षण ससमय पूर्ण कराने एवं प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे ।

11 यह प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा अंकेक्षित लेखा विवरणी भारत सरकार को समर्पित करने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से राशि उपलब्ध कराया जायेगा । प्रतिपूर्ति किये जाने वाली राशि प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों में प्रक्रिया की जाती है एवं इसमें समय लगने की संभावना बनी रहती है । चीनी वितरण योजना के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु संभावित राशि का आकलन कर विभाग के योजना बजट में उपबंधित किया जायेगा।

12 भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी का उठाव नहीं किया जाता है। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड इतनी सक्षम नहीं है कि वह प्रत्येक माह महाराष्ट्र/उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों से चीनी का उठाव कर राज्य में विभिन्न जिलों तक पहुंचा सके। ऐसी स्थिति में चीनी मिलों से राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक माह चीनी लाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था राज्य स्तरीय निविदा के आधार पर आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा।

13 निविदा दस्तावेज पर विधि एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

14 राज्य स्तरीय निविदा समिति निम्न प्रकार से होगी :-

क्र0	पदनाम एवं विभाग का नाम	
1.	प्रधान सचिव/सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,	अध्यक्ष
2	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,	सदस्य सचिव
3	प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0.	सदस्य
4	निदेशक, उद्योग विभाग, झारखंड,	सदस्य
5.	वित्त विभाग के प्रतिनिधि.	सदस्य
6	मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के प्रतिनिधि.	सदस्य

15 आपूर्तिकर्ता द्वारा जिलों/प्रखण्डों में अवस्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों में चीनी की आपूर्ति की जायेगी जहां से डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को चीनी आपूर्ति की जायेगी। इस प्रकार चीनी का अंतिम मूल्य निविदा से प्राप्त दर के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

16 आपूर्ति की गई चीनी के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से आपूर्ति रसीद प्राप्त हो जाने पर जाँचोपरान्त विभाग द्वारा भुगतान रिवॉल्विंग फण्ड से करने हेतु झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, रांची को निदेशित किया जायेगा।

17 राज्य में चीनी का वितरण वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट शीर्ष मांग संख्या 18-मुख्यशीर्ष 3456-सिविल पूर्ति लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना 102 सिविल पूर्ति योजना-789-अनुसूचित जातियों के विशेष अंगीभूत उपयोजना उपशीर्ष 38 बी०पी०एल० परिवारों चीनी वितरण योजना-03 प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री में किये गये उपबंधित राशि रु0 50.387 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्राप्त है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह अक्टूबर, 2014 से मार्च 2015 तक कुल माह 6(छः माह) चीनी वितरण करने पर कुल संभावित व्यय 103.49 करोड़ रु0 व्यय की स्वीकृति प्राप्त है, जिसे रिवॉल्विंग फंड के रूप में झारखंड राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम लि0, रांची को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः शेष निधि लगभग 53.103 करोड रु0 की राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन, झारखंड आकस्मिता निधि से प्राप्त कर निगम को रिवॉल्विंग फंड के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है।

18 राष्ट्रीय खाद्य सूरक्षा अधिनियम के लागू हो जाने पर चीनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अच्छादित सभी लाभुको को वितरित किया जायेगा।

19 उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(डॉ० प्रदीप कुमार),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- खा०ब०ज०ले०वी चीनी-36/2012 /राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प को प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को सूचना उपलब्ध करावे।

ह0/-
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक खा०ब०ज०ले०वी चीनी-36/2012 /राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा एवं हक0) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के सचिव।